

COVID-19 अधिसूचति आपदा

प्रिलमिस के लयि:

राज्य आपदा प्रतिक्रिया नधि, COVID-19, आपदा प्रबंधन अधिनियम

मेन्स के लयि:

आपदा/महामारी प्रबंधन से संबंधति मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया नधि (State Disaster Response Fund-SDRF) के तहत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से [COVID-19](#) को एक अधिसूचति आपदा (Notified Disaster) के रूप में मान्यता प्रदान करने का नरिणय लयि है।

प्रमुख बदि

- वदिति हो कविशिव स्वास्थय संगठन (WHO) ने हाल ही में कोरोनावायरस (COVID-19) को एक वैश्वकि महामारी घोषति कयि था, इसके कारण वैश्वकि स्तर पर अब तक 8000 से भी अधिक लोगों की मृतयु हो चुकी है और लाखों लोग अब भी इसकी चपेट में हैं।
- यह महामारी दुनयि भर के तकरीबन 168 देशों में पहुँच चुकी है भारत में भी कोरोनावायरस संक्रमण के 190 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं।
- इस वैश्वकि महामारी के प्रभाव से राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान पहुँच रहा है।
- ऐसी स्थिति में यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि केंद्र सरकार राज्यों को इस महामारी से नपिटने के लयि यथासंभव संसाधन उपलब्ध कराए ताकि आपदा की इस स्थिति से जल्द-से-जल्द नपिटा जा सके।

COVID-19 अधिसूचति आपदा

- आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act) के अनुसार, आपदा से तात्पर्य किसी कषेत्र वशिष में हुए उस वधिर्वंस, अनषिट, अथवा अपेक्षाकृत गंभीर घटना से है जो प्राकृतकि या मानवजनति कारणों से अथवा दुर्घटनावश या लापरवाही से घटति होती है और जसिमें काफी बड़ी मात्रा में मानव संसाधन की हानि होती है या संपत्तिको हानि पहुँचती है या पर्यावरण का भारी कषरण होता है।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया नधि (SDRF) का उपयोग केवल चक्रवात, भूकंप, सूखा, भूस्खलन, ओलावृष्टि, बादल फटने, हमिसखलन और कीटों के हमले आदि स्थिति में ही कयि जा सकता है।
- अब तक गंभीर चकितिसा अथवा महामारी की स्थिति अधिसूचति आपदा सूचयिों के अंतरगत नहीं आती थीं, जसिके कारण SDRF का प्रयोग ऐसी स्थितयिों में नहीं कयि जा सकता था।
- गृह मंत्रालय द्वारा लयि गए इस नरिणय से राज्य सरकारें कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी से नपिटने के लयि SDRF का उपयोग कर सकेंगी।

महामारी और अमेरकि

- COVID-19 महामारी से नपिटने के लयि हाल ही में अमेरकिी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी देश में एक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए [स्टैफोर्ड अधिनियम \(Stafford Act\)](#) लागू कर दयि है।
- अमेरकि के इस नयिम के अनुसार, संघीय सरकार राज्यों के लयि किसी भी आपदा से नपिटने हेतु राहत की लागत में लगभग 75 प्रतिशत का योगदान करती है।
- स्टैफोर्ड अधिनियम राष्ट्रपतिको स्थानीय सरकारों, राज्य सरकारों, कुछ नजिी गैर-लाभकारी संगठनों और व्यक्तयिों को वतितयि एवं अन्य सहायता प्रदान करने के लयि अधिकृत करता है।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया नधि

(State Disaster Response Fund-SDRF)

- राज्य आपदा प्रतिक्रिया नधिका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत किया जाता है और यह अधिसूचित आपदाओं से निपटने के लिये राज्य सरकारों के समक्ष मौजूद प्राथमिक नधि होती है।
- नियमों के अनुसार, केंद्र सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये SDRF आवंटन में 75 प्रतिशत का योगदान करती है, जबकि विशेष श्रेणी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये यह 90 प्रतिशत से अधिक होता है।
 - यदि हो कि विशेष राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की श्रेणी में पूर्वोत्तर राज्यों के अतिरिक्त सिकिम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को शामिल किया जाता है।
- SDRF के लिये केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर दो समान कश्तों में धनराशि जारी करती है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/covid-19-a-notified-disaster>

